न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
14 / 2014 / प्रा.पत्र / 2014	11.09.2014	22.07.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
..... प्रार्थी

बनाम

1–श्री राजाराम साहू पुत्र श्री भंवरलाल साहू विक्रेता मैसर्स श्री जी लघु उद्योग अम्बिका कॉलोनी टोंक जिला टोंक निवासी अम्बिका कॉलोनी, टोंक जिला टोंक
2–श्री अनिता साहू पत्नि श्री राजाराम साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री जी लघु उद्योग अम्बिका कॉलोनी टोंक जिला टोंक निवासी अम्बिका कॉलोनी, टोंक जिला टोंक
3–मैसर्स श्री जी लघु उद्योग अम्बिका कॉलोनी टोंक जिला टोंक

..... अप्रार्थीगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनु. ।

:–**निर्णय**–: दिनांक 22.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.05.2014 को समय 03:20 पीएम पर मैसर्स श्री जी लघु उद्योग अम्बिका कॉलोनी टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर श्री राजाराम साहू पुत्र श्री भंवरलाल साहू मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राजाराम साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि गृह उद्योग में आम जनता को विक्रय करने हेतु **नमकीन (श्री जी सोना रूपा मूल पैक)** 390–390 ग्राम के 250 प्लास्टिक पोली पैक रखे हुये थे जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री राजाराम साहू को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर. एफ.बी. ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री राजाराम साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **नमकीन (श्री जी सोना रूपा मूल पैक)** को वास्त मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 390–390 ग्राम की 8 प्लास्टिक पोली पैक खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **नमकीन (श्री जी सोना रूपा मूल पैक)** 390–390 ग्राम की 8 प्लास्टिक पोली पैक के दो–दो पैकेटों को एक साथ बांधकर चार भाग तैयार किये एवं एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–729 अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता श्री राजाराम साहू तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–729 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./14/2260 दिनांक 23.07.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट स. एल.एस./164/एफएसएसए/2014/174 दिनांक 26.05.2014 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **नमकीन (श्री जी सोना रूपा मूल पैक)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया जाने के कारण विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हैतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अवधेश कुमार जैन एडवोकेट ने दिनांक 9–4–2015 को वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा आदिनाक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया और ना ही अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित नहीं हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **नमकीन (श्री जी सोना रूपा मूल पैक)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)**स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **नमकीन (श्री जी सोना रूपा मूल पैक)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 ता 3 पर कुल शास्ति रूपये 1,50,000/–(अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 22.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट